प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 11.01.2026**

थाना गजनेर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए लूट की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 03.03.2025 वादी श्री कल्लू यादव उर्फ मोहित सिंह यादव पुत्र श्री मुन्नू सिंह यादव ग्राम नहोली थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात द्वारा तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा तिलौंची रेलवे फाटक क्रासिंग के 100 मीटर आगे से 47,100 रू0 तथा मेरा मोबाइल फोन (लावा कम्पनी) तथा इयरबड्स और गले से सोने की चैन लूट ली है, जिसके सम्बन्ध में थाना गजनेर पर मु0अ0सं0 0057/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण सूरज मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा निवासी ग्राम मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, राज ठाकुर पुत्र सर्वेश सिंह निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल पता- टाइप 2 कॉलोनी UPSIDC जैनपुर जनपद कानपुर देहात व विकास संखवार पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात की पूर्व में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर विधिक कार्यवाही की जा चुकी है एवं मुकदमा उपरोक्त में वाँछित चल रहे अभियुक्त प्रांशू प्रजापति पुत्र अमरनाथ उर्फ चोखेलाल प्रजापति निवासी ग्राम मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष को दिनांक 10.01.2026 समय 10.20 PM पर रेलवे क्रासिंग तिलौंची के पास चितरिया मोड़ थाना क्षेत्र गजनेर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

प्रांशू प्रजापति पुत्र अमरनाथ उर्फ चोखेलाल प्रजापति निवासी ग्राम मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात उम्र 19 वर्ष।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि सूरज मिश्रा पुत्र दीपक मिश्रा निवासी ग्राम मोहाना थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, राज ठाकुर पुत्र सर्वेश सिंह निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात हाल पता- टाइप 2 कॉलोनी UPSIDC जैनपुर जनपद कानपुर देहात व विकास संखवार पुत्र सुन्दरलाल निवासी ग्राम चितरिया थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात, जो मेरे दोस्त हैं, के साथ मिलकर दिनांक 02.03.2025 को तिलौंची रेलवे क्रासिंग से लगभग 100 मीटर आगे अकबरपुर से आ रहे मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्ति पर सूरज मिश्रा ने डण्डा मारकर घायल कर दिया था जिसके पास से करीब 24,500/ रू0 व एक सोने की चैन और एक मोबाइल (लावा कम्पनी) तथा मोबाइल के इयरबड्स मिले थे। जिसमें से हम लोगों ने दो -दो हजार रूपये बांट लिये थे शेष रुपये व सोने की चैन व इयरबड्स मेरे पास रखे थे । सूरज मिश्रा का मोबाइल घटना के समय कहीं गिर गया था। लावा का लूटा हुआ मोबाइल फोन सूरज मिश्रा को दे दिया गया था। लेकिन मेरे तीनों दोस्तों को पुलिस ने जब पकड़ लिया तो मैं गुजरात भाग गया था । रुपये की जरुरत पड़ने पर मैंने सोने की चैन व इयरबड्स चलते हुए व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताते हुए 15 से 20

हजार रुपये में बेच दिया था लेकिन जिसको मैंने ये सामान बेचा था उसका मुझे नाम पता मालूम नहीं है। लूट के जो रुपये मेरे पास थे सभी खर्च हो गये हैं। ये जो 250 रुपये मेरे जेब से मिले है ये मेरे मेहनत मजदूरी के है।

अभियुक्त प्रांशू प्रजापति का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 0057/2025 धारा 309(6)/317(2) बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।
2- मु0अ0सं0 58/2025 धारा 310(4)/313 बीएनएस थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना गजनेर पुलिस